न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशसन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय मांहोंद)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
8/21	1.9.21	15.11.21

<u>उनवान</u>

1. प्रेमसिंह पुत्र फूलाराम जाति खारवाल निवासी ग्राम देंवता तहसील किशनगढबास जिला अलवर। :– प्रार्थी:–

बनाम

1. तहसीदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढबास जिला अलवर। :–अप्रार्थी:–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

<u>निर्णय</u>

आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी ग्राम देवता का निवासी है ग्राम देवता का निवासी है ग्राम देवता में आ0ख0न0 374/0.29 का 1/2 भाग व ख0न0 404/1.0700 का 15/136 भाग एवं आ0ख0न0 375/0.600, 376/0.8100, 405/0.1800 का 1/4 भाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसपर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी कम पढा लिखा मजदूरी पेशा व्यक्ति है जिस राजस्व रिकार्ड मे बारे में ज्ञान नही था प्रार्थी ने अपनी भूमि का लोन लेने हेतु केडिट कार्ड बनवाने हेतु माह जूलाई 21 में जब पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि ख0न0 374 में आपका नाम प्रेमसिह पुत्र फूलासिह सही दर्ज है मगर बाकी और नम्बर 404, 375, 376, 405 में पप्पू पुत्र फूला दर्ज हो रहा है इसलिए आपको लोन नही मिलसकता अर्थात केडिट कार्ड नही बनेगा। आप पहिले अपना रिकार्ड सही कराकर लाओ तब आपकी फाईल तैयार होगी।

प्रार्थी का सही नाम प्रेमसिह पुत्र फूलाराम है प्रार्थी के समस्त रिकार्ड में भी प्रेमसिंह पुत्र फूलाराम है प्रार्थी के राशनकार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, पैनकार्ड सभी में प्रेमसिंह पुत्र फूलाराम दर्ज रिकार्ड है।जमाबंदी सं0 2076 मे आ0ख0न0 374/0.2900 वाकें ग्राम देवता में प्रार्थी का सही नाम प्रेमसिंह पुत्र फूलाराम दर्ज हो रहा है परन्तु आ0 ख0न0 404/1.0700 का 15/136 भाग एवं आ0ख0न0 375/0.600, 376/0.8100, 405/0.1800 का 1/4 भाग पर प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र फूला दर्ज हो रहा है। प्रार्थी के घर में पप्पू के नाम से भी बोलते है। गांव मे बोलचाल की भाषा में लोगो को अधूरे नाम से ही बोलते है जिस कारण से ही प्रार्थी का रिकार्ड में प्रेमसिह पुत्र फुलाराम के बजाय पप्पू पुत्र फूला दर्ज हो रहा है। केडिट कार्ड नही बन पा रहा है। इसलिए रिकार्ड सही ना म दर्ज किया जाना आवश्यक है।

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आ0ख0न0 374/0.29 का 1/2 भाग व ख0न0 404/1.0700 का 15/136 भाग एवं आ0ख0न0 375/0.600, 376/0.8100, 405/0.1800 का 1/4 भाग वाके ग्राम देवता की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र फूला दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किय जाकर उसके स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र फूलाराम दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। तथा प्रार्थी ने गवाहान के ताईद में शपथ पत्र पेश किये जिसमे पीडब्लू–1 स्वयं का शपथ पत्र , पीडब्लू–2 चिम्मनलाल, प्रार्थी की साक्ष्य ली गई एवं दस्तावेज प्रदर्श कराये दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श –1 जमाबंदी सं0 2076–79, प्रदर्श–2 जमाबंदी–संवत 2076–79 , प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2076–79 पेश कि है जिसमें प्रार्थी का सही नाम प्रेमसिह पुत्र फूलाराम दर्ज है, प्रदर्श–4 राशनकार्ड, प्रदर्श–5–भामाशाह कार्ड की छाया प्रति, प्रदर्श–6 आधारकार्ड, प्रदर्श –7 पहचान पत्र पेश किया है। तथा प्रार्थी ने नोटेरी से तस्दीक शपथ पत्र पेश किया है। आज प्रार्थनाा पत्र प्रशसन गावो के संग अभियान में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई । प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी भी उपस्थित । आम एवं खासजन से जानकारी ली गई। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी को सुनने के बाद हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं प्रार्थी द्वारा नोटेरी से तस्दीक शपथ पत्र मे प्रेमसिंह पुत्र फूलाराम होना बताया तथा जमाबंदी संवत 2076–79 में आराजी ख0न0 374/0.2900 वाके ग्राम देवता में प्रार्थी का सही नाम प्रेमसिंह ही दर्ज है। जिससे साबित है कि प्रार्थी का सही नाम प्रेम सिंह पुत्र फूलाराम है।

अतः आदेश ा है किः–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आ0ख0न0 374/0.29 का 1/2 भाग व ख0न0 404/1.0700 का 15/136 भाग एवं आ0ख0न0 375/0.600, 376/0.8100, 405/0.1800 का 1/4 भाग वाके ग्राम देवता की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र फूला दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रेमसिंह उर्फ पप्पू पुत्र फूलाराम किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढबास को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार रहे।

उप(ओम प्रकाश [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)